कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3 / यूजी–2022 / 2457 लखनऊःदिनांक 21.10. 2022

यू0पी0 नीट यू0जी0 2022 की ऑनलाइन काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना / निर्देश

- यू0पी0 नीट यू0जी0 2022 की ऑनलाइन काउसिंलिंग शासन द्वारा नामित तकनीकी संस्था राज्य सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) के सहयोग से **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0** द्वारा करायी जा रही है। **किसी भी अनाधिकृत संस्था / व्यक्ति के स्तर पर लिए गये प्रवेश पूर्णरूप से अवैध है, जिसका उत्तरदायित्व चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 का नहीं होगा।**

- भारत सरकार द्वारा नामित संस्था के माध्यम से आयोजित नीट परीक्षा में सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी ही यू0पी0 नीट यू0जी0 2022 की काउसिंलिंग प्रकिया में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है।

- यू0पी0 नीट यू0जी0 2022 के प्रथम चक्र की ऑन–लाइन काउंसिलिंग की समय–सारिणी विभागीय वेबसाइट www.dgme.up.gov.in/www.upneet.gov.in पर अपलोड जायेगी।

- नीट यू0जी0 2022 की काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करने वाले समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क रू0 2,000 (प्रथम व द्वितीय चक्र हेतु) डेबिट / क्रेडिट कार्ड / नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते है। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा मे वापस (Non Refundable) नहीं किया जायेगा।

- यदि अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में पंजीकरण नही करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु रु0 2,000 /– जमा कराकर प्रतिभाग कर सकता है। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा मे वापस (Non Refundable) नहीं किया जायेगा।

- यू0पी0 नीट यू0जी0–2022 की काउन्सिलिंग मे अभ्यर्थियो के अभिलेखो का सत्यापन आवंटन के पूर्व ऑन–लाईन प्रकिया के माध्यम से कराया जायेगा। ऑन–लाईन डाक्यूमेन्ट वेरिफिकेशन हेतु नामित नोडल सेन्टरो की सूची विभागीय वेबसाइट www.dgme.up.gov.in/www.upneet.gov.in पर अपलोड जायेगी।

- अभ्यर्थी इच्छुक नोडल सेन्टर पर निम्नांकित अभिलेखो की स्कैन कापी, जो स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य हो, ऑन–लाईन अपलोड किये जायेगे :–

  - हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट मार्कशीट
  - आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र(OBC/SC/ST/EWS,EX/FF/NCC/PH)
  - डोमिसाईल सर्टिफिकेट शासनादेश के अनुसार (ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनो परीक्षाये अथवा कोई भी एक परीक्षा उ0प्र0 राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो)

- यदि अपलोड किए गये अभिलेख अस्पष्ट अपठनीय होंगे, तो अभ्यर्थी का अभ्यथर्न निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

- आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल शैक्षणिक अभिलेखो का सत्यापन आवंटित कालेज/नोडल सेन्टर पर कराना होगा। अभिलेख गलत पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

- अभ्यर्थियो द्वारा निम्नांकित तालिका में उल्लिखित सिक्योरिटी धनराशि डेबिट/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग ऑन–लाइन जमा किया जाना अनिवार्य है:–

क्र0सं0	विवरण	धरोहर धनराशि (Security Money)
1	राजकीय क्षेत्र की एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों हेतु	रू0 30,000 (रु0 तीस हजार मात्र)
2.	निजी क्षेत्र की एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों हेतु	रू0 2,00,000 (रु0 दो लाख मात्र)
3	निजी क्षेत्र की बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों हेतु	रू0 1,00,000 (रु0 एक लाख मात्र)

- सिक्योरिटी धनराशि जमा न होने की स्थिति मे अभ्यर्थी काउन्सिलिंग प्रक्रिया से स्वयं बाहर हो जायेंगे। जिसका उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

- अभ्यर्थी द्वारा सिक्योरिटी धनराशि रू0 2,00,000 जमा करने पर वह राजकीय/निजी क्षेत्र की एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 की समस्त सीटो हेतु अर्ह माने जायेंगे। अभ्यर्थी अपनी अर्हता का स्वयं आंकलन करे।

- इसी प्रकार रू0 1,00,000 जमा करने पर राजकीय क्षेत्र की एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 एवं निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेजो की बी0डी0एस0 सीटो हेतु अर्ह माने जायेंगे। अभ्यर्थी अपनी अर्हता का स्वयं आंकलन करे।
- रू0 30,000 जमा करने पर केवल राजकीय क्षेत्र एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 की सीटो हेतु अर्ह होंगे।

- सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में शिक्षण शुल्क में समायोजित नही की जायेगी।

- **अनावंटित/आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि उसी बैंक खाते में वापस की जायेगी जिस खाते से सिक्योरिटी धनराशि का भुगतान किया गया है। अतः सिक्योरिटी धनराशि जमा करने हेतु अभ्यर्थी अपने निजी बैंक खाते का ही प्रयोग करें। अन्यथा की स्थिति मे विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।**

- दिव्यांगजनो के दिव्यांगता प्रमाण–पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रो से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

- सभी अभ्यर्थियो से विशेष रूप से अपेक्षा है कि यू0पी0 नीट यू0जी0 2022 के नीति निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 21.10.2022 एवं विवरण पुस्तिका(ब्रोशर) विभाग की वेबसाइट www.dgme.up.gov.in/www.upneet.gov.in पर उपलब्ध है, का भली भॉति स्वयं अवलोकन कर लिया जाये, जिसमे अर्ह/अनर्ह की पात्रता तथा अन्य शर्तो/प्रतिबन्धो का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

- ***निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी सम्बन्धित कालेज के बारे मे स्वयं अथवा उनके अभिभावक सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाईस लॉक करें।***

- निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों की सीटो पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से विशेष रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि अल्पसंख्यक / गैर–अल्पसंख्यक कालेज / संस्थान / विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले समस्त शुल्क (Fee Structure) जो महानिदेशालय की वेबसाईट www.dgme.up.gov.in/ www.upneet.gov.in पर उपलब्ध है, का अवलोकन करने के पश्चात् ही Choice Lock करें।

- प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा राजकीय / निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेन्टल कालेज की सीटो पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन च्वाईस भरी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

- **ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाईस लॉक न होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रकिया से स्वतः बाहर हो जायेगा।**

- **अभ्यर्थी द्वारा लॉक की गयी च्वाईस के उपरान्त कालेज / पाठ्यक्रम आवंटित होने की स्थिति में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश न लेने की स्थिति में जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की काउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा करनी होगी।**

- **निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेन्टल कालेजों मे आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को शासन / अल्पसंख्यक संस्था द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tution Fee) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow) के पक्ष मे तैयार सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट, जो लखनऊ मे देय हो, प्रवेश के समय निर्धारित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति मे प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।**

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजो में आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया सम्बन्धित कालेज में पूर्ण की जायेगी।

- निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेन्टल कालेजो मे आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टर पर ऑफ लाइन सम्पन्न की जायेगी।

- प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग की प्रवेश प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त राजकीय / निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेज में प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित कालेज मे तत्काल योगदान प्रस्तुत करना होगा।

- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय उनका **अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2022 अथवा इसके पश्चात् का बना** होना चाहिये।

- आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) संबंधी समस्त प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे, दिव्यांगता / एन0सी0सी0 प्रमाण–पत्र को छोड़ते हुए।

- छात्रहित/जनहित मे उपरोक्त मार्गदर्शन वेबसाइट पर अपलोड किये जा रहे है, जिससे अभ्यर्थियो एवं उनके अभिभावको की समस्त जिज्ञासाएं का समाधान किया गया है। अतएव आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त दिशा–निर्देशो, शासनादेश एवं ब्रोशर मे उल्लिखित नियम/शर्ते/प्रतिबन्ध के अवलोकनोपरांत कोई ऐसी विशेष समस्या उत्पन्न होने की स्थिति मे ही हेल्पलाइन लाइन का प्रयोग किया जाये।

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र की काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण करा लिया है एवं राज्य की प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग नही करते है अथवा किन्ही कारणो से सम्मिलित नही हो पा रहे है, वह प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे।

- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इन दोनो परीक्षाओ मे से एक परीक्षा अन्य प्रदेशो से उत्तीर्ण की है, उन अभ्यर्थियो के डोमिसाइल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण–पत्र शासनादेश दिनांक 18 फरवरी 2003 द्वारा निर्गत प्रारूप पर ही मान्य होंगे। शासनादेश दिनांक 18 फरवरी 2003 विभागीय वेबसाइट www.dgme.up.gov.in/www.upneet.gov.in पर उपलब्ध है।

- **सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है। सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्याः 19316/2020 एम0टी0वी0 बुद्धिस्ट बनाम उ0प्र0 व अन्य योजित की गयी है, जो मा0 न्यायालय खारिज की जा चुकी है। अतएव उक्त के दृष्टिगत अभ्यर्थियो से अपेक्षा है कि नीट यू0जी0–2022 की च्वाईस फिलिंग करने के पूर्व संस्था से फी स्ट्रक्चर के सम्बन्ध में अपने स्तर से जानकारी कर ली जाए, अन्यथा की स्थिति में चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 का उत्तरदायित्व नहीं होगा।**

महानिदेशक।